फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर उदयपुर जिला उदयपुर

प्रार्थी : श्री खेमराज   बनाम   विपक्षी : श्री कालु व अन्य

किस्म मुकदमा – 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम   पत्रावली संख्या : 443/21

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 15.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर से प्रारम्भिक डिक्री पर रिपोर्ट प्राप्त। शामिल फाईल रहें। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रकरण में वादग्रस्त आराजी न. 48 से 51, 454, 511, 519, 520, 539 से 547, 550 से 552, 554 से 558, 721 से 723 कुल किता 28 रकबा 64 बिघा 6 बिस्वा भूमि का वर्तमान रेकर्ड से मिलान किया गया जिसमें उक्त खसरो का वादी द्वारा सहमती विभाजन करवाया जा चुका है एवं वादी की मृत्यु होकर विरासत का नामान्तरण खुल चुका है।

प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि वादग्रस्त भूमि का सहमती विभाजन हो चुका है जिससे इस पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:48:28 IST
Reason: SelfAttested